

The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-2, Issue-1, April-2023

www.theresearchdialogue.com



महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता में रोजगारपरक योजनाओं का योगदान: एक अध्ययन

डॉ० राजीव गुप्ता

एसोसिएट प्रोफेसर

स्कूल ऑफ बिजनेस एन्ड कॉमर्स

ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ०प्र०)

ऋषान्त पाठक

शोधार्थी

स्कूल ऑफ बिजनेस एन्ड कॉमर्स

ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ०प्र०)

सारांश

महिला आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के समावेशी एवं सतत् विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। वर्तमान वैश्विक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता भी है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक उत्थान एवं आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक रोजगारपरक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड-अप इंडिया, दीनदयाल अन्त्योदय योजना तथा अन्य कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रमुख हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन तथा स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रस्तुत शोध-पत्र का मुख्य उद्देश्य महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता के संदर्भ में रोजगारपरक योजनाओं की भूमिका का सैद्धान्तिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन में महिला आर्थिक सशक्तिकरण की अवधारणा, आत्मनिर्भरता के आयाम, रोजगारपरक योजनाओं की संरचना, उनके उद्देश्यों तथा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर उनके प्रभावों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह शोध पूर्णतः सैद्धान्तिक प्रकृति का है तथा इसके लिए पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी रिपोर्टों, नीति दस्तावेजों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित साहित्य जैसे द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए उपलब्ध साहित्य का समालोचनात्मक परीक्षण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रोजगारपरक योजनाओं ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, स्वरोजगार,

उद्यमिता, आय सृजन, वित्तीय समावेशन तथा निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इन योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्राप्त हुए हैं। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास कार्यक्रमों एवं सूक्ष्म-वित्तीय सहायता ने महिलाओं के सामाजिक सम्मान, आत्मविश्वास तथा जीवन-स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि जागरूकता की कमी, सीमित वित्तीय साक्षरता, सामाजिक रूढ़ियाँ, डिजिटल विभाजन तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं, फिर भी समुचित नीति-समर्थन, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, प्रभावी निगरानी तथा व्यापक जन-जागरूकता के माध्यम से इन योजनाओं की प्रभावशीलता को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रोजगारपरक योजनाएँ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता तथा समावेशी राष्ट्रीय विकास के लिए एक प्रभावी एवं परिवर्तनकारी माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

मुख्य शब्द : महिला आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगारपरक योजनाएँ, महिला उद्यमिता, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार।

प्रस्तावना

महिला आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के समावेशी एवं सतत् विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। किसी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वित्तीय संसाधनों तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में समान अवसर प्राप्त हों। आर्थिक रूप से सशक्त महिला न केवल अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम होती है, बल्कि परिवार की आय, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण को आज सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता तथा आर्थिक विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की जनसंख्या कुल आबादी का लगभग आधा भाग है। इसके बावजूद श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी, औपचारिक रोजगार में प्रतिनिधित्व तथा उद्यमिता के अवसर अपेक्षाकृत सीमित रहे हैं। शिक्षा के प्रसार, कौशल विकास तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी के विस्तार के कारण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी अवश्य बढ़ी है, किन्तु ग्रामीणदृशहरी असमानता, सामाजिक रूढ़ियाँ, वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच तथा कौशल की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। ऐसे परिदृश्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। वर्ष 2020 में प्रस्तुत “आत्मनिर्भर भारत” की अवधारणा ने स्थानीय उत्पादन, कौशल विकास, स्वरोजगार तथा महिला उद्यमिता को विशेष महत्व प्रदान किया। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टैंड-अप इंडिया तथा अन्य रोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण, उद्यमिता सहायता एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि महिलाओं में आत्मविश्वास, वित्तीय स्वतंत्रता तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना भी है। उपरोक्त

परिप्रेक्ष्य में रोजगारपरक योजनाओं की भूमिका का सैद्धान्तिक विश्लेषण अत्यंत प्रासंगिक है। यह अध्ययन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता में इन योजनाओं के योगदान, उनकी उपयोगिता, संभावनाओं तथा चुनौतियों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे भविष्य की नीतियों एवं कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सार्थक सुझाव प्राप्त हो सकते हैं।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण : अवधारणा

महिला आर्थिक सशक्तिकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से महिलाएँ आर्थिक संसाधनों, अवसरों तथा उत्पादन के साधनों तक समान पहुँच प्राप्त करती हैं और अपनी आय, रोजगार, बचत, निवेश तथा संपत्ति से संबंधित निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने में सक्षम बनती हैं। यह केवल आय अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता तथा सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने की व्यापक प्रक्रिया है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला न केवल अपने परिवार की आय में योगदान देती है, बल्कि समाज एवं राष्ट्र के समावेशी विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विभिन्न विद्वानों एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने महिला आर्थिक सशक्तिकरण को अलग-अलग दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है।

नायला कबीर (1999) के अनुसार सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं को ऐसे विकल्प चुनने की क्षमता प्राप्त होती है, जिनसे वे पहले वंचित थीं।

विश्व बैंक के अनुसार आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में समान भागीदारी, रोजगार के अवसर, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच तथा संपत्ति पर अधिकार सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।

संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन के अनुसार महिला आर्थिक सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को सम्मानजनक कार्य, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमिता तथा आर्थिक निर्णयों में समान भागीदारी प्रदान करना है।

महिला आर्थिक सशक्तिकरण के प्रमुख आयामों में “रोजगार एवं आजीविका”, “आय एवं वित्तीय सुरक्षा”, “संपत्ति एवं संसाधनों पर अधिकार”, “उद्यमिता एवं स्वरोजगार”, “वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच”, “निर्णय लेने की क्षमता”, “डिजिटल एवं तकनीकी दक्षता”, तथा “सामाजिक एवं आर्थिक समानता” शामिल हैं। ये सभी आयाम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। महिला आर्थिक सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करना, गरीबी एवं आर्थिक असमानता को कम करना, उद्यमिता और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना तथा परिवार एवं समाज में महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त, लैंगिक समानता स्थापित करना, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी आर्थिक

सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इस प्रकार महिला आर्थिक सशक्तिकरण सतत विकास, सामाजिक न्याय तथा समावेशी आर्थिक प्रगति की आधारशिला है।

आत्मनिर्भरता की अवधारणा

आत्मनिर्भरता का सामान्य अर्थ हैकृव्यक्ति, परिवार, समुदाय अथवा राष्ट्र का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भर न होकर अपने संसाधनों, ज्ञान, कौशल एवं क्षमताओं के आधार पर विकास करना। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक दृष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, शैक्षिक, तकनीकी तथा मनोवैज्ञानिक स्वावलम्बन भी सम्मिलित होता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने, निर्णय लेने तथा जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है।

“आर्थिक आत्मनिर्भरता” आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। इसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जिसमें व्यक्ति अपनी आय अर्जित करने, वित्तीय निर्णय लेने, बचत एवं निवेश करने तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम हो। आर्थिक आत्मनिर्भरता व्यक्ति के आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं जीवन-स्तर में वृद्धि करती है। महिलाओं के संदर्भ में इसका अर्थ है कि वे शिक्षा, कौशल, स्वरोजगार, उद्यमिता अथवा वेतनयुक्त रोजगार के माध्यम से स्वतंत्र आय अर्जित करें तथा परिवार और समाज के आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तुत “आत्मनिर्भर भारत” की अवधारणा का उद्देश्य देश को उत्पादन, नवाचार, कौशल विकास, उद्यमिता तथा स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप, महिला उद्यमिता, कौशल विकास तथा स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन दिया गया है। इसका मूल संदेश “वोकल फॉर लोकल” और “लोकल टू ग्लोबल” के माध्यम से स्थानीय उत्पादन को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। इस दृष्टिकोण में महिलाओं की भागीदारी को आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार माना गया है।

‘महिला आत्मनिर्भरता का महत्व’ वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत व्यापक है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला न केवल अपने परिवार की आय में योगदान देती है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा बच्चों के भविष्य से संबंधित निर्णयों में भी प्रभावी भूमिका निभाती है। आत्मनिर्भर महिलाएँ सामाजिक असमानताओं को कम करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, गरीबी उन्मूलन तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसलिए महिलाओं को कौशल विकास, रोजगारपरक योजनाओं, उद्यमिता एवं वित्तीय समावेशन से जोड़ना एक सशक्त, समावेशी एवं आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता है।

रोजगारपरक योजनाओं की अवधारणा

रोजगारपरक योजनाएँ वे योजनाएँ हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने, स्वरोजगार अपनाने तथा उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसी योजनाएँ केवल नौकरी

उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि व्यक्तियों के कौशल विकास, वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण, विपणन सहयोग तथा उद्यम स्थापना के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराती हैं। भारत जैसे विकासशील देश में बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी एवं आर्थिक असमानता को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक रोजगारपरक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका विशेष लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, ग्रामीण आबादी तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आजीविका के स्थायी अवसर उपलब्ध कराना है।

रोजगारपरक योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बेरोजगारी एवं गरीबी को कम करना तथा मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वे बदलती आर्थिक एवं तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें। कौशल विकास इन योजनाओं का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि आधुनिक रोजगार बाजार में तकनीकी दक्षता, व्यावसायिक कौशल एवं डिजिटल साक्षरता की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए प्रशिक्षण अनिवार्य हो गया है।

रोजगारपरक योजनाएँ स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित करती हैं। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक ऋण, अनुदान, वित्तीय सहायता तथा व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिससे वे स्वयं का उद्यम स्थापित कर न केवल अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकें, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें। इसी प्रकार उद्यमिता विकास इन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य है, जिसके माध्यम से नवाचार, नेतृत्व क्षमता, जोखिम वहन करने की प्रवृत्ति तथा व्यवसाय प्रबंधन कौशल का विकास किया जाता है। परिणामस्वरूप रोजगारपरक योजनाएँ व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, आय वृद्धि तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं और समावेशी एवं सतत् विकास की दिशा में प्रभावी भूमिका निभाती हैं।

महिलाओं हेतु प्रमुख रोजगारपरक योजनाएँ

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे वर्तमान में दीनदयाल अन्व्योदय योजनाद्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में ग्रामीण निर्धन परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर उन्हें वित्तीय सेवाओं, कौशल विकास, उद्यमिता तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को नियमित बचत, बैंक ऋण, प्रशिक्षण, उत्पादन, विपणन तथा आजीविका संवर्धन से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि यह महिलाओं को सामूहिक नेतृत्व, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी के लिए भी प्रोत्साहित करती है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ लघु उद्योग, डेयरी, पशुपालन, हस्तशिल्प, कृषि आधारित गतिविधियों तथा अन्य स्वरोजगार कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक निर्भरता को कम किया है तथा उनमें आत्मविश्वास, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता

की भावना का विकास किया है। परिणामस्वरूप महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है तथा वे स्थानीय आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भागीदार बनकर उभरी हैं।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्ष 2015 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से महिला उद्यमियों को बिना किसी बड़ी गारंटी के व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। मुद्रा योजना के अंतर्गत “शिशु, किशोर और तरुण” श्रेणियों में व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। अनेक महिलाएँ इस योजना के माध्यम से सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, बुटीक, हस्तशिल्प, किराना, ऑनलाइन व्यापार तथा अन्य सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर रही हैं। मुद्रा योजना ने महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को आसान बनाया है तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की आय में वृद्धि, रोजगार के नए अवसरों का सृजन तथा महिला उद्यमिता के विकास को गति मिली है। यह योजना महिलाओं को नौकरी खोजने के बजाय रोजगार देने वाली उद्यमी बनने की दिशा में प्रेरित करती है।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर महिलाओं, को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई, फैशन डिजाइनिंग, स्वास्थ्य सेवाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, जिससे उनके रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यह योजना महिलाओं को आधुनिक तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक दक्षता तथा उद्यमिता कौशल प्रदान कर स्वरोजगार एवं निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक ज्ञान, संचार कौशल तथा डिजिटल साक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे महिलाओं की कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। कौशल विकास के माध्यम से महिलाएँ केवल रोजगार प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम बनती हैं। इस प्रकार यह योजना महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।
- स्टैंड-अप इंडिया योजना : स्टैंड-अप इंडिया योजना का शुभारम्भ वर्ष 2016 में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम

से महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। योजना का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता देना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को उद्यमिता, नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इसके माध्यम से महिलाएँ विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित कर सकती हैं। योजना के अंतर्गत बैंक ऋण के साथ-साथ परियोजना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण तथा व्यवसाय संचालन संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इससे महिलाओं में उद्यमशीलता की भावना विकसित होती है तथा वे रोजगार प्राप्त करने के बजाय रोजगार सृजित करने वाली उद्यमी बनती हैं। इस योजना ने विशेष रूप से शिक्षित एवं महत्वाकांक्षी महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। परिणामस्वरूप महिला स्वावलम्बन, आय वृद्धि, सामाजिक सम्मान तथा स्थानीय आर्थिक विकास को नई दिशा मिली है।

- दीनदयाल अन्त्योदय योजना : दीनदयाल अन्त्योदय योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी निर्धन परिवारों, विशेषकर महिलाओं, की आजीविका के स्थायी साधनों का विकास करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित करती है तथा उन्हें बचत, बैंक ऋण, कौशल विकास, स्वरोजगार एवं सामूहिक उद्यमों से जोड़ती है। इसके माध्यम से महिलाओं को कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प तथा सेवा आधारित व्यवसायों में प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना तथा महिलाओं की आय को स्थायी रूप से बढ़ाना है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करती हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यह योजना वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाओं की सामूहिक भागीदारी एवं सतत आजीविका के माध्यम से यह योजना समावेशी एवं टिकाऊ आर्थिक विकास की दिशा में प्रभावी योगदान प्रदान करती है।

रोजगारपरक योजनाओं का महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

रोजगारपरक योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी माध्यम हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा स्टैंड-अप इंडिया, महिलाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार, उद्यमिता एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। इन योजनाओं के प्रभाव को निम्नलिखित उपशीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है :-

- आय में वृद्धि : रोजगारपरक योजनाओं से महिलाओं को स्वरोजगार एवं लघु उद्योग स्थापित करने के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है। अतिरिक्त आय ने परिवार की आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया है।

- रोजगार के अवसर : कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से महिलाएँ कृषि, हस्तशिल्प, सूक्ष्म उद्योग, सेवा क्षेत्र तथा लघु उद्यमों में रोजगार प्राप्त कर रही हैं। इससे बेरोजगारी एवं आर्थिक निर्भरता में कमी आई है।
- निर्णय क्षमता : आर्थिक योगदान बढ़ने से महिलाओं की परिवार एवं समाज में निर्णय लेने की भूमिका सुदृढ़ हुई है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश तथा पारिवारिक व्यय जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाने लगी हैं।
- वित्तीय समावेशन : रोजगारपरक योजनाओं ने महिलाओं को बैंक खाते, ऋण, बचत, बीमा तथा डिजिटल भुगतान जैसी वित्तीय सेवाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।
- सामाजिक सम्मान : आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। परिवार और समुदाय में उनकी भूमिका अधिक प्रभावशाली बनी है।
- उद्यमिता विकास : विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को उद्यम स्थापित करने, व्यवसाय का विस्तार करने तथा नवाचार अपनाने के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन मिला है।
- गरीबी उन्मूलन : रोजगार एवं आय के स्थायी स्रोत उपलब्ध होने से अनेक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा गरीबी कम करने में सहायता मिली है।
- जीवन स्तर में सुधार : आय एवं रोजगार बढ़ने से महिलाओं और उनके परिवारों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं। परिणामस्वरूप उनका समग्र जीवन स्तर बेहतर हुआ है।

इस प्रकार, रोजगारपरक योजनाएँ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक भागीदारी तथा समावेशी विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यद्यपि जागरूकता की कमी, सीमित वित्तीय साक्षरता तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी इन योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

रोजगारपरक योजनाओं की चुनौतियाँ

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अनेक रोजगारपरक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, किन्तु इनके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। सबसे बड़ी समस्या “जागरूकता का अभाव” है, जिसके कारण विशेषकर ग्रामीण एवं वंचित वर्ग की अनेक महिलाएँ योजनाओं की पात्रता, लाभ एवं आवेदन प्रक्रिया से परिचित नहीं हो पातीं। “अशिक्षा एवं सीमित शैक्षिक स्तर” भी महिलाओं की योजनाओं तक पहुँच को प्रभावित करते हैं, क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों, बैंकिंग प्रक्रियाओं तथा डिजिटल माध्यमों का उपयोग उनके लिए कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त “सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएँ”, जैसे पितृसत्तात्मक सोच, घरेलू दायित्व तथा निर्णय लेने की सीमित स्वतंत्रता, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बाधित करती हैं। “वित्तीय समस्याएँ” तथा ऋण प्राप्त करने में आने

वाली कठिनाइयाँ नए उद्यमों की स्थापना में अवरोध उत्पन्न करती हैं। वर्तमान डिजिटल युग में “तकनीकी एवं डिजिटल ज्ञान का अभाव” भी महिलाओं को आधुनिक रोजगार अवसरों एवं ई-मार्केटिंग से वंचित कर देता है। साथ ही, उत्पादों के “विपणन (मार्केटिंग) और बाजार तक पहुँच” की कमी के कारण महिला उद्यमियों को उचित मूल्य एवं स्थायी ग्राहक नहीं मिल पाते। इन सबके अतिरिक्त, योजनाओं के “कमजोर क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय की कमी, विलंबित ऋण स्वीकृति, अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा प्रभावी निगरानी के अभाव” से योजनाओं की वास्तविक उपयोगिता सीमित हो जाती है। इसलिए रोजगारपरक योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता तथा पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

समाधान एवं सुझाव

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रोजगारपरक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। योजनाओं के प्रति व्यापक “जागरूकता अभियान” चलाए जाएँ, ताकि अधिक से अधिक महिलाएँ उनका लाभ उठा सकें। “डिजिटल शिक्षा” एवं “वित्तीय साक्षरता” के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन सेवाओं, बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन में दक्ष बनाया जाए। “कौशल प्रशिक्षण” को स्थानीय रोजगार एवं बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाए तथा उत्पादों के लिए “विपणन (मार्केट) की सुलभ व्यवस्था” सुनिश्चित की जाए। योजनाओं की “नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन” किया जाए तथा बदलती सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप “नीतिगत सुधार” कर उन्हें अधिक प्रभावी, समावेशी और लाभार्थी-केंद्रित बनाया जाए।

निष्कर्ष

महिला आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के समावेशी एवं सतत विकास का महत्वपूर्ण आधार है। प्रस्तुत सैद्धान्तिक अध्ययन के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि रोजगारपरक योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड-अप इंडिया तथा अन्य सरकारी पहलें महिलाओं को कौशल विकास, वित्तीय सहायता, स्वरोजगार एवं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आय, निर्णय क्षमता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक वृद्धि कर रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएँ न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी सक्रिय योगदान दे रही हैं।

यद्यपि रोजगारपरक योजनाओं के परिणाम उत्साहजनक हैं, फिर भी जागरूकता की कमी, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता का अभाव, सामाजिक रुढ़ियाँ, बाजार तक सीमित पहुँच तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ इनके व्यापक प्रभाव को सीमित करती हैं। भविष्य में इन योजनाओं की सफलता के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता का विस्तार, सरल ऋण व्यवस्था, विपणन सहायता तथा नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन आवश्यक है। समन्वित नीति-निर्माण, स्थानीय

आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रमों तथा महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगारपरक योजनाएँ महिला आर्थिक सशक्तिकरण को और अधिक प्रभावी बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- एशियाई विकास बैंक (2023). भारत में सतत एवं समावेशी विकास की दिशा में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, एशियाई विकास बैंक।
- भारत सरकार (2020). आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत सरकार।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2022). विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य : प्रवृत्तियाँ-2022, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
- मैक्केलवे, एम. (2023). महिलाओं के रोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण : एक वर्णनात्मक अध्ययन, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (2023). प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) : परिचालन दिशा-निर्देश, भारत सरकार।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (2023). वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23, भारत सरकार।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (2023). दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23, भारत सरकार।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (2023). वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23, भारत सरकार।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2023). महिलाओं के स्वरोजगार हेतु संचालित योजनाएँ, भारत सरकार।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2023). ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योजनाएँ, भारत सरकार।
- नीति आयोग (2023). महिला सशक्तिकरण एवं महिला उद्यमिता से संबंधित राष्ट्रीय पहल, भारत सरकार।
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (2023). लैंगिक समानता के लिए संयुक्त प्रयास : वर्तमान चुनौतियाँ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन।
- राठी, एस., एवं अग्रवाल, डी. (2023). प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में रोजगार एवं महिला सशक्तिकरण का अध्ययन, लघु उद्यम विकास, प्रबंधन एवं विस्तार पत्रिका, 50(3), 292-306।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (2022). मानव विकास प्रतिवेदन 2021-22, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
- संयुक्त राष्ट्र महिला (2023). सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति : लैंगिक परिदृश्य प्रतिवेदन-2023, संयुक्त राष्ट्र महिला।
- विश्व बैंक (2023). महिलाएँ, व्यवसाय एवं विधि-2023, विश्व बैंक।
- विश्व आर्थिक मंच (2023). वार्षिक लैंगिक अंतराल प्रतिवेदन-2023, विश्व आर्थिक मंच।

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-2, Issue-1, April-2023

www.theresearchdialogue.com

Certificate Number-April-2023/42



Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ० राजीव गुप्ता¹, ऋषान्त पाठक²
for publication of research paper title

**महिला आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता में रोजगारपरक
योजनाओं का योगदान: एक अध्ययन**

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and

E-ISSN: 2583-438X, Volume-02, Issue-01, Month April, Year-2023.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper
must be available online at www.theresearchdialogue.com